न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला सांचौर

अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण सं. 80 / 2024

जीसीएमएचः– 2024 / 181

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.कुपाराम पुत्र नारणाराम जाति कलबी निवासी प्रतापपुरा तह / जिला–सांचौर राज.		1. जोराराम पुत्र नारणाराम । 2. नरसीराम पुत्र नारणाराम। 3. हरचंदराम पुत्र नारणाराम जातियान कलबी निवासीगण प्रतापपुरा तह / जिला सांचौर राज. । 4. शाखा प्रबंधक, जालोर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमि.शाखा जालोर। 5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,92,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.1955

उपस्थितः–   तारीख रजूः– 09.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी ।
2. प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 स्वयं उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 04 व 05 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 18/09/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53,88,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 का इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा प्रतापपुरा पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर में खेत खाता संख्या 91 खसरा नम्बर 299 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 2.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 812/78 रकबा 0.3655 हैक्टयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.75 हैक्टयर कुल रकबा 4. 7155 हैक्टयर, खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर 289 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 8.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.86 हैक्टयर कुल रकबा 8.94 हैक्टयर की आई हुई है। इसी प्रकार मौजा मौखुपुरा के खेत खाता संख्या 128 के खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.16 हैक्टयर खसरा नम्बर 2800/3512 रकबा 0.39 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3978/2083 रकबा 5.2347 हैक्टयर कुल रकबा 8.9947 हैक्टयर भूमि आई हुई है। इसी प्रकार मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 220 रकबा 2.80 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी बंट में आता है। उपरोक्त खसरान् की भूमि संयुक्त परिवार में रहते हुए वादीगण के पिता नारायणराम के नाम खसरा नम्बर [illegible] 79, 80, 81, 812/78, 82, 88 प्रतिवादी संख्या 1 व 03 के नाम खसरा नम्बर 289, 290, 291, 300 [illegible] व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खसरा सख्या 2081, 2082, 2800, 2800/3512, 3978/2083 [illegible] राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। विवादित सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीगण, [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 ता 3 के द्वारा संयुक्त परिवार में रहते हुए खातेदारी प्राप्त [illegible] थी। लेकिन राजस्व [illegible] में अलग–अलग नाम दर्ज किया गया था। वर्तमान में वादीगण के पिता का देहान्त [illegible] है इसलिए वादीगण द्वारा आपस में समझौते के तौर पर सभी खसरान् में 1/4 हिस्सा वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:08:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

का व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का प्रत्येक खसरे में 1/4–1/4 हिस्सा रखना तय किया गया। जिसके लिए सामाजिक पंचायत भी हुई तथा आपस में राजीखुशी सभी खसरान में बराबर हिस्सा रखना तय किया गया। जिन हिस्सो पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बराबर बराबर लगातार शान्तिपूर्वक संयुक्त रूप से काबिज व काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई है इस कारण वे राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाने पर आमदा है, इसी के तहत वे भूमि अलग–अलग लोगों को दिखा रहे है तथा बेचान करने पर आमदा है तथा राजस्व रेकर्ड में अधिक भूमि दर्ज होने का फायदा उठाना चाहते है जबकि सभी विवादित खसरान में वादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है। लेकिन उनके हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण करने की धमकी दी जा रही है। जिनका उनको विधिक अधिकार नही है। परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन नही हो रखा है, उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को घोषित किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को भी 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध सादिर फरमावे।

वादी का वाद दिनांक 09.09.2024 दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बार–बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की तरफ से सहमति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर वादी की वादग्रस्त आराजी मौजा माखुपुरा ,प्रतापपुरा व पलादर में हमारी पैतृक कृषि भूमि आई हुई है। तथा हमने आपस में कब्जा काश्त अनुसार मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया है। तथा मौके पर किये बंटवाड़े अनुसार बंटवाड़ा डीड तैयार कर लिया है जो संलग्न निम्नानुसार है–

क्र.स.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम व खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा है.	किस्म	लगान	मार्क/व रंग
1	जोराराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	मौखुपूरा 128	2082 में से 2800 2800/3512 3978/2083 मेंसें	0.63 0.16 0.39 1.07	बरानी प्रथम बरानी प्रथम बरानी प्रथम बरानी प्रथम	1.7325 0.44 1.07 2.9425	हरा
	योग		4	**2.25**		**6.1850**	
2	नरसीराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	मौखुपूरा 128	2081 में से 3978/2083 मेंसें 2082में से	0.01 0.805 1.54	गै.मु.बेरा बरानी प्रथम बरानी प्रथम	 2.2137 4.235	लाल
	योग		3	**2.355**		**6.4487**	
3	कुपाराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	मौखुपूरा 128	3978/2083 मेंसें	0.42	बरानी प्रथम	1.155	भूरा
	योग			**0.42**		**1.155**	
4	हरचंदराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	मौखुपूरा 128	3978/2083 मेंसें	2.909	बरानी [illegible]	8.00	बैंगनी
	योग		1	**2.9097**		**8.00**	
5	जोराराम, कुपाराम,हरचंद राम पि. नारणाराम कौम	मौखुपूरा 128	2082 में से 3978/2083 मेंसें	0.03 0.03	बरानी प्रथम बरानी प्रथम	0.0825 0.0825	पीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:08:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

	कलबी खातेदार						
			2	0.06		0.165	
6	नरसीराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	पलादर 88	220	2.80	बारानी दोयम	5.60	लाल
	योग		1	**2.80**		**5.60**	
7	जोराराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	प्रतापपुरा 81	291 में से 300 में से	2.04 0.86	चाही सोयम 0.35 जाव सोयम 1.69 बरानी दोयम	3.5 5.07 1.72	हरा
	योग		2	**2.90**		**10.92**	
8	कुपाराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	प्रतापपुरा 81	289 290 291 में से 291 में से	0.01 0.02 5.86 0.15	गै.मु.बेरा गै.मु.सडा चाही सोयम 1.02 जाव सोयम 4.84 चाही सोयम 0.03 जाव सोयम 0.12	– – 10.02 5.52 0.30 0.36	भूरा
	योग		4	**6.04**		**16.2**	
9	जोराराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	प्रतापपुरा 91	81में से 812/78में से	1.05 0.11	चाही सोयम 0.60 जाव सोयम 0.45 बरानी सोयम	6.00 1.35 0.173	हरा
	योग		2	**1.16**		**7.523**	
10	नरसीराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	प्रतापपुरा 91	81में से 812/78में से	0.91 0.245	चाही सोयम 0.52 जाव सोयम 0.39 बारानी सोयम	5.20 1.17 0.375	लाल
	योग		2	**1.155**		**6.745**	
11	हरचंदराम पुत्र नारणाराम कौम कलबी खातेदार	प्रतापपुरा 91	79 80 81में से 81 में से 82 88	0.01 0.02 0.41 0.15 1.00 0.75	गै.मु.बेरा गै.मु.सडा चाही सोयम 0.23 जाव सोयम 0.18 चाही सोयम 0.08 जाव सोयम 0.07 बारानी सोयम बारानी सोयम	2.30 0.54 0.80 0.21 1.50 1.13	बेंगनी
	योग		6	**2.34**		**6.48**	
12	जोराराम,नरसी राम,हरचंदराम पि. नारणाराम कौम कलबी खातेदार	प्रतापपुरा 91	299 812/78 में से	0.0500 0.0105	गै.मु.रास्ता बारानी सोयम		पीला
	योग		2	0.0600			

उपरोक्त भूमि का बंटवाड़ा हमने उपर दर्शाया [illegible] क मौके पर बंटवाड़ा किया जाकर अपने–अपने हिस्से काबिज हो चुके है [illegible] ा में रंगो अनुसार और इसी माफिक इसका उपयोग व उपभोग [illegible] मौके पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है तथा रास्ते [illegible] का कोई विवाद नही है उक्त आराजी का न्यांयालय में वाद–विवाद विचाराधिन होने [illegible] ह राजीनाम व सहमति बंटवाड़ा मूल दस्तावेज हमने अपनी राजी–खुशी अल्क होशियारी एव बिना किसी डर व दबाव से स्वस्थ चित एवं स्थिर बुद्धि की हालत में एक दुसरे के हक में लिख दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:08:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सां...

Scanned with OKEN Scanner

वादी के वादपत्र प्रतिवादीगण के सहमति पत्र बंटवाड़ा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्व होता है वादी का वाद व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और से प्रस्तुत राजीनामा व सहमति बंटवाड़ा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

वादी के वाद पत्र प्रतिवादीगण के राजीनामा व सहमति पत्र बंटवाड़ा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्व होता है कि वादी का वाद व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और से प्रस्तुत राजीनामा व सहमति बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 53,88,92,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा प्रतापपुरा पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर में खेत खाता संख्या 91 खसरा नम्बर 299 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 2.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 812/78 रकबा 0.3655 हैक्टयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.75 हैक्टयर कुल रकबा 4.7155 हैक्टयर, खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर 289 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.02 हैक्टयर, ख्सारा नम्बर 291 रकबा 8.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.86 हैक्टयर कुल रकबा 8.94 हैक्टयर की आई हुई है। इसी प्रकार मौजा मौखुपुरा के खेत खाता संख्या 128 के खसरा नम्बर 2081 रकाब 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2082 रकबा 2.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2800 रकबा 0.16 हैक्टयर खसरा नम्बर 2800/3512 रकबा 0.39 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3978/2083 रकबा 5.2347 हैक्टयर कुल रकबा 8.9947 हैक्टयर भूमि आई हुई है। इसी प्रकार मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 220 रकबा 2.80 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 की और से प्रस्तुत राजीनामा व सहमति बंटवाड़ा में संलग्न नक्शों में रंगों अनुसार खातेदार घोषित किये जाते है। तथा तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है वादी व प्रतिवादीगण के सहमति बंटवाड़े अनुसार निर्णय की अनुपालना में इसी अनुरूप भू–अभिलेख में इन्द्राज उपरान्त मुताबिक अद्यतन अभिलेख वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक–हिस्सो का माफिक राजीनामा व सहमति बंटवाड़े के अनुसार करवाया जाकर खाता एवं लगान पृथक किया जावें तथा मुताबिक सहमति राजीनामा को संलग्न प्रतिलिपि के आधार पर पृथक–पृथक खाते में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करें।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 18/9/2024 ... इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:08:03 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner